**“जीवन प्रकाश” , मंडल कार्यालय, जयपुर रोड, बीकानेर (राज.)**

**पंजीकृत/कोरियर/ईमेल**

**पत्र क्रमांक : का.से. /प्रिंटेड स्टेशनरी /23-24 दिनांक: 04.08.2023**

**मैसर्स:**

**महोदय,**

 **विषय : सीमित निविदा संख्या 02 – प्रिंटेड स्टेशनरी वर्ष 2023-24**

**भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल कार्यालय बीकानेर वर्ष 2023-24 के लिए प्रिंटेड स्टेशनरी की आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु Empanelled vendors से निविदाएँ आमंत्रित करता है । संलग्न सूची मे प्रयुक्त होने वाले कागज के आकार ,प्रकार ,एवं अन्य specifications का सम्पूर्ण विवरण दिया हुआ है । आपसे अनुरोध है इन specifications के अनुसार ही अपनी दरें (without GST) प्रेषित करें । यह निविदा rate contract के अंतर्गत है जिसकी अवधि एक वर्ष होगी ,अतः आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार ही मँगवाई जाएगी । दरें सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिए मान्य होगी।**

1. **आदेश देने की तिथि के पांच दिवस के भीतर आर्ट वर्क हमारे पास पहुचाना होगा I आर्ट वर्क अनुमोदित होने की तिथि से 30 दिन में सामान की आपूर्ति करनी होगी ।**
2. **निर्धारित 30 दिनों के भीतर आपूर्ति नहीं करने पर निम्नानुसार विलंब शुल्क लगाया जाएगा ।**

|  |  |
| --- | --- |
| **विलंब अवधि**  | **विलंब शुल्क**  |
| **31 से 45 दिन तक** | **2% of billed amount** |
| **46 से 60 दिन तक**  | **5% of billed amount** |
| **61 से 90 दिन तक**  | **10% of billed amount** |

1. **सामान की आपूर्ति 90 दिनों तक प्राप्त न होने पर आपूर्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जाएगा व आपूर्ति आदेश अगले न्यूनतम बिड वाले को दिया जाएगा व अंतर की राशि मूल आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूली जाएगी|**
2. **Tax की कटौती भारतीय सरकार के नियमो के अनुसार होगी !**
3. **निविदाएं तय समय व दिनांक पर कार्यालय समय के दौरान कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए | दरें केवल सलंग्न पत्र में ही प्रस्तुत करे I निविदा कर्ता द्वारा आइटम की सूचि/Make इत्यादि में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन किया गया तो वह स्वीकार्य नहीं होगा I**
4. **निविदा में वर्णित सामान की आपूर्ति मंडल कार्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम “जीवन प्रकाश” जयपुर रोड, बीकानेर पर करनी होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का अन्य खर्चा नहीं दिया जाएगा | दरें जीएसटी रहित (without GST) देवे । सी एवं डी फॉर्म विभाग द्वारा देय नहीं होगा I**
5. **जीएसटी का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार ही देय होगा । यदि आपको निविदा के आधार पर आपूर्ति हेतु आदेश दिया जाता है तो आपूर्ति निविदा में दी गयी मिल एवं पेपर Quality पर ही करनी होगी I हम आपूर्ति के पेपर की जांच सम्बंधित मिल अथवा उनके प्रतिनिधियों से करवा सकते है I यदि पेपर गलत पाया गया तो आपूर्ति अस्वीकार की जा सकती है अथवा लागत राशी की न्युनत्तम बीस प्रतिशत राशि भुगतान से कटोती की जा सकती है जिसके सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम का निर्णय अंतिम होगाI**
6. **आवश्यकतानुसार सेम्पल संलग्न करे । नमूनों पर फर्म की मोहर एवं फर्म मालिक के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से अंकित हो I**
7. **सलंग्न प्रारूप में अपनी दरें अंकित कर एक बंद लिफाफे में जिसके ऊपर “निविदा संख्या -02 प्रिंटेड स्टेशनरी वर्ष 2023-24” लिख कर अध्यक्ष, भंडार समिति, भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय,जयपुर रोड , बीकानेर के नाम से प्रेषित करें|**
8. **बंद लिफाफे में निविदा कार्यालय में पहुचने की अंतिम तिथि 21.08.2023 को शाम 05.30 बजे तक है एवं दिनांक 22.08.2023 को अपरान्ह 12.00 बजे निविदाये खोली जाएगी जिसमें आपकी उपस्थिति अपेक्षित है । यदि आपकी फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं तो यह स्वतःसमझा जाएगा कि आप निविदा प्रक्रिया से पूर्ण संतुष्ट है|**
9. **Tender value या आपूर्ति किए जाने वाले सामान की कीमत एक लाख रु से अधिक होने पर successful bidder को security deposit at 10% of contract /order value जमा करवानी होगी । यह राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति मे इसे बिल मे से काट लिया जाएगा । इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।**
10. **निविदा कर्ता को निविदा के साथ ही EMD के रूप मे रु 12000.00 demand draft/ banker’s cheque/NEFT(in favour of LIC OF INDIA) के द्वारा जमा करवाने होंगे। MSE वेंडर को EMD राशि जमा करवाने की बाध्यता नहीं है , परंतु इसके लिए वेंडर को MSE certificate निविदा के साथ ही संलग्न करना होगा । Non MSE वेंडर को EMD नहीं देने की स्थिति मे उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा । Unsuccesful Tenderes को यह राशि (बिना ब्याज ) निविदा खोलने की तिथि के 30 दिन के अंदर लौटा दी जाएगी ।**
11. **निविदाकर्ता को रु 118 (100+18% GST) Tender fees के रूप मे demand draft/ banker’s cheque/NEFT(in favour of LIC OF INDIA)/MR at LIC CASH COUNTER(D.O.) के द्वारा जमा करवाने होंगे । MSE वेंडर को Tender fees जमा करवाने की बाध्यता नहीं है , परंतु इसके लिए वेंडर को MSE certificate निविदा के साथ ही संलग्न करना होगा ।**
12. **किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र बीकानेर ही होगा ।**
13. **Vendors को निविदा के साथ ही Pre contract integrity pact (duly stamped & signed) जमा करवाना होगा ।**
14. **निविदा की अवधि एक वर्ष होगी । इस अवधि को परिवर्तित करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है ।**

 **15. THE INSURANCE LAWS (AMENDMENT) ACT, 2015**

1. In terms of provisions of Section 33 (3) of The Insurance Laws (Amendment) Act , 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), is authorized to verify aII such books of account, register, other documents and the data base in the custody of the contractor in respect of service outsourced by the LIC of India. It shall be the duty of the contractor to provide such documents/statements/information as may be required by IRDAI within such time as may be specified by IRDAI .
2. In terms of provisions of Section 33 (4) of The Insurance Laws (Amendment) Act , 2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), if it considers expedient to do so, may direct any person hereinafter referred to as “Investigating Officer”, to make an investigation as specified under Sec.33 (1) or carry out an inspection as specified under Section 33 (2) of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, who may examine on oath any Manager, managing Director or Other Officer of the service provider or contractor where the services are outsourced by LIC of India.

**सलंग्न : Item specification document प्रबंधक (कार्यालय सेवा)**